

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड


डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, तृतीय तल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0141- 2788051 (Email: rmfdoc_2000@yahoo.co.in)

क्रमांक एफ2()/आरएमएफडीसीसी/लेखा/2020-21/ 8372

दिनांक: 22.7.20

कार्यालय आदेश


प्रायः यह देखने में आया है कि जिला कार्यालयों द्वारा आवेदक का ऋण स्वीकृति के आदेश जारी कर हिस्सा राशि एवं सदस्यता शुल्क निगम बैंक खाते में जमा करवा दिये जाते हैं परन्तु आवेदक द्वारा किन्हीं कारणों से ऋण नहीं लिये जाने के कारण उक्त हिस्सा एवं सदस्यता शुल्क की राशि वापस लौटाये जाने हेतु मांग पत्र भेजा जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त लाभार्थी निगम में ऋण लेने का इच्छुक नहीं है एवं वह निगम का सदस्य भी नहीं बनना चाहता है अतः यदि इन ऋणियों को भविष्य में कभी भी ऋण नहीं दिया जाना है तो इन्हे पोर्टल पर निरस्त करवाया जाकर भुगतान आदेश प्रस्तुत करें यदि किसी आवेदक को हिस्सा एवं सदस्यता शुल्क का ऑफलाईन भुगतान किया जाना है तो ऑफलाईन रजिस्टर में इसका इंद्राज कर रजिस्टर के साथ भुगतान आदेश प्रस्तुत करें।


प्रबन्ध निदेशक
आरएमएफडीसीसी,
जयपुर

क्रमांक एफ2()/आरएमएफडीसीसी/लेखा/2020-21/ 8373-8410
प्रतिलिपि :-

दिनांक: 22.7.20

1. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
2. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
3. पोर्टल अपलोड हेतु। — श्री विठ्ठल
4. सलाहाकार (वसूली)
5. प्रभारी ऑनलाईन ऋण वितरण।
6. प्रभारी ऑफलाईन ऋण वितरण।
7. रक्षित पत्रावली।


प्रबन्ध निदेशक
आरएमएफडीसीसी,
जयपुर